न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 पुनरीक्षण

नीलकंठ पुत्र नंदकिशोर रिछारिया
निवासी ग्राम हंसपुरा तह. लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

ग्रामवासी ग्राम हंसपुरा तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 91/अ–6–अ/15–16 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि बंदोवस्त के पूर्व के खसरा नं. 265, 266, 267, एवं बंदोवस्त के बाद वर्तमान ख.नं. 345, 346, 359 रकवा क्रमशः 0.265 हे. 0.849 हे, 0.556 हे. मौजा हंसपुरा में स्थित भूमि पर आवेदक काबिज होकर कब्जेदार था। आवेदक ने व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग–2 लौडी (लवकुशनगर) के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1949–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–06–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित उनके तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. के प्र.कं. 91/अ–6–अ/15–16 मे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि बंदोवस्त के पूर्व के खसरा नं. 265, 266, 267 एवं बंदोवस्त के बाद वर्तमान ख.नं. 345, 346, 359 रकवा कमंशः 0.265 हे., 0.849 हे., 0.600 हे. कुल किता 3 कुल रकवा 1.714 हे. भूमि मौजा हंसपुरा तहसील लवकुशनगर में स्थित भूमि पर आवेदक काबिज होकर कब्जेदार था। आवेदक ने व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग–2 लौड़ी (लवकुशनगर) के समक्ष वाद कं. 06ए/2004 प्रस्तुत किया था जिसमें आदेश दिनांक 26.06.2005 द्वारा आवेदक को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी घोषित किया गया है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनका यह भी तर्क है कि माननीय व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 26.06.2005 के पालन में अधीक्षक भू. अभिलेख (भू. प्रबंधन) द्वारा प्र.क्रं. 7/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2006 को आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि सिविल न्यायालय की डिक्री दिनांक 26.06.2005 के विरूद्ध शासन अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की फिर भी पूर्व में तहसील न्यायालय लवकुशनगर द्वारा प्र.क्रं. 594/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2008 को सिविल न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध आदेश पारित कर भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया गया जो कानून की मंशा के विपरीत पारित किया गया था। उनका यह भी तर्क है कि सिविल डिक्री के आधार पर आवेदक ने अपना नाम दर्ज करने हेतु पुनः न्यायालय अधीक्षक भू. अभिलेख (भू. प्रबंधन) छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर रा.प्र.क्रं. 50/अ–6–अ/09–10 दर्ज कर आदेश दिनांक 04.04.2013 के अनुसार पूर्व पारित आदेश दिनांक 06.02.2006 की पुष्टि आवेदक के पक्ष में की गई । उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान में ग्रामवासी हंसपुरा तहसील लवकुशनगर की ओर से की गई शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर ने प्रस्तुत	

छतरपुर

X(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1949–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया तहसील न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2016 अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14.06.2016 द्वारा तहसीलदार लवकुशनगर के रा.प्र.कं. 594/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2008 का पालन करने हेतु आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इस प्रकार उनके द्वारा निवेदन किया कि सिविल डिक्री के विपरीत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2008 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे। 4– आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि बंदोवस्त के पूर्व के ख.नं. 265, 266, 267 एवं बंदोवस्त के बाद वर्तमान ख.नं. 345, 346, 359 रकवा कमंशः 0.265 हे., 0.849 हे., एवं 0.600 हे. कुल किता 3 कुल रकवा 1.714 हे. भूमि पर आवेदक को कब्जे के आधार पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 लौडी (लवकुशनगर) ने वाद कं. 06ए/04	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में आदेश दिनांक 26.06.2005 द्वारा आवेदक को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी घोषित किया गया है। उक्त डिक्री का पालन प्र.कं. 7/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2006 एवं पुनः रा.प्र.कं. 50/अ–6–अ/09–10 में पारित आदेश दिनांक 4.4.2013 एवं पुनः 10.12.2015 द्वारा सिविल डिक्री के पालन में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है डिक्री दुरभि संधि पूर्ण या अन्यथा हो सकती है ऐसी डिक्री को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा परिवर्तित या ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक राजस्व न्यायालय उक्त डिक्री का पालन कराने के लिये लिये बाध्य है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सुने बिना तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2016 पर से तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में प्र.कं. 594/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2008 का अमल करने हेतु अपने आदेश दिनांक 14.06.2016 द्वारा निर्देश देने में त्रुटि की है उक्त आदेश को न्याय संगत नहीं मानता हूँ। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर प्र.कं. 91/अ–6–अ/15–16 में अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.16	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1949–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं तहसीलदार लौड़ी (लवकुशनगर) द्वारा प्र.क. 594/बी–121/07–08 में पारित आदेश दिनांक 17.4.2008 निरस्त किये जाते हैं। एवं सिविल न्यायालय की डिकी के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने बावत पारित आदेश यथावत रखे जाते हैं। तहसीलदार लवकुशनगर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त करें। सदस्य	